अध्याय- III

वित्तीय प्रतिवेदन

सुसम्बद्ध एवं विश्वसनीय सूचनाओं सहित एक दोषमुक्त आन्तरिक वित्तीय प्रतिवेदन, राज्य सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी शासन करने में महत्वपूर्ण रूप से योगदान करता है। इस प्रकार वित्तीय नियमों, कार्यविधि तथा अनुदेशों की अनुपालन के साथ ही ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर सामयिक और प्रतिवेदन की गुणवत्ता, सुशासन के महत्वपूर्ण घटकों में एक है। अनुपालना एवं नियन्त्रणों पर प्रतिवेदन, यदि प्रभावी और क्रियाशील हों, रणनीतिक आयोजना तथा निर्णय लेने सहित, मूलभूत अग्रणीय दायित्वों की पूर्ति में राज्य सरकार को सहायता पहुंचाते हैं। यह अध्याय, चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, कार्यविधि एवं अनुदेशों की राज्य सरकार द्वारा की गई अनुपालना की स्थिति का एक विहंगमावलोकन प्रस्तुत करता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

वित्तीय नियमावली में उपबंध है कि विशिष्ट प्रयोजनों हेतु प्रदत अनुदानों के लिए विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लिये जाने चाहिए तथा सत्यापन के पश्चात उन्हें अन्यथा विनिर्दिष्ट न होने पर, संस्वीकृति तिथि से 18 माहों के अन्दर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को अग्रेषित किया जाना चाहिए। मार्च 2011 तक ₹ 463.37 करोड़ की राशि के 578 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे तथा अगस्त 2011 तक ₹ 522.54 करोड़ की धनराशि के 623 उपयोगिता प्रमाणपत्र लम्बित थे। इनमें से, ₹ 244.69 करोड़ धनराशि के 172 उपयोगिता प्रमाण पत्र (27.61 प्रतिशत) तीन वर्षों तक की अवधि से लम्बित थे तथा तीन वर्षों से ऊपर के ₹ 277.85 करोड़ धनराशि के 451 उपयोगिता प्रमाण पत्र लम्बित थे। उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रस्तुतीकरण में अवधि-वार विलम्ब **तालिका- 3.1** में सारांशित है:

तालिका-3.1: अगस्त 2011 को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अवधि-वार बकाये *(₹ करोड़ में)*

क्रम संख्या	वर्षों की संख्या में विलम्ब की सीमा	लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		संख्या	राशि
1	0-1	62	65.39
2	1-3	110	179.30
3	3-5	451	277.85
योग		**623**	**522.54**

उपयोगिता प्रमाण पत्रों के अभाव में, यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि क्या प्राप्तकर्ता ने अभीष्ट उद्देश्य जिसके लिए स्वीकृत की गयी थी, अनुदान का उपयोग किया था।

इस प्रकार प्राप्तकर्ताओं द्वारा उपयोगिता प्रमाणपत्रों के शीघ्र प्रस्तुतीकरण हेतु विभागों द्वारा प्रयास किए जाने चाहिए।

3.2 विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के सम्बन्ध में लेखाओं के प्रस्तुतीकरण में विलम्ब

अर्द्ध वाणिज्यिक प्रकृति के कार्यकलाप वाले कतिपय सरकारी विभागों के विभागीय उपक्रमों से अपेक्षित है कि वे विहित प्रपत्र में वार्षिक रूप से वित्तीय कार्यकलापों के कार्य-चालन परिणाम प्रदर्शित करते हुये प्रोफार्मा लेखे तैयार करें ताकि सरकार उनके क्रियाकलापों का आकलन कर सके। विभागीय रूप से प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध वाणिज्यिक उपक्रमों के पूर्ण लेखे, उनके समग्र वित्तीय स्वास्थ्य तथा अपने कारोबार को संचालित करने में कार्य कुशलता को प्रदर्शित करते हैं। लेखों को समय पर अन्तिम रूप न दिये जाने के अभाव में, सरकारी निवेश, लेखापरीक्षा/राज्य विधान मण्डल की संवीक्षा के अन्तर्गत नहीं आ पाते। परिणामतः, उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने व कार्यकुशलता में सुधार लाने हेतु यदि कोई सुधारात्मक उपाय अपेक्षित हों तो वे समय पर नहीं किये जा सकते। इसके अतिरिक्त, सभी तरह के विलम्ब से, व्यवस्था में हर समय धोखाधड़ी व सार्वजनिक धन के निःस्राव की सम्भावना बनी रहती है।

सरकारी विभागों के विभागाध्यक्षों को यह सुनिश्चित करना होता है कि ऐसे उपक्रम अपने लेखे तैयार करें तथा विहित समय सीमा के अन्तर्गत लेखापरीक्षार्थ महालेखाकार को प्रस्तुत करें। सितंबर 2011 तक, तीन ऐसे उपक्रमों में से दो ने लेखे तैयार नहीं किए थे तथा उनके लेखे वर्ष 2003-04 व उसके बाद से बकाये थे। प्रोफार्मा लेखे तैयार करने के बकाये व सरकार द्वारा किये गये निवेश की विभाग-वार स्थिति **परिशिष्ट-3.1** में दी गयी है।

लेखे को अन्तिम रूप देने में विलम्ब से, वित्तीय अनियमितता के जोखिम का पता नहीं लगता, अतः लेखे को तैयार कर लेखापरीक्षा को शीघ्रतम प्रस्तुत करने की आवश्यकता है।

3.3 दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि

लेखापरीक्षा ने मार्च 2011 तक ₹ 3.20 करोड़ की सरकारी राशि के दुर्विनियोग, गबन व चोरी आदि के 16 प्रकरण पाए जिन पर अन्तिम कार्यवाही लम्बित थी। लम्बित मामलों का विभाग-वार विवरण तथा अवधि-वार विश्लेषण **परिशिष्ट -3.2** में दिया गया है तथा इन मामलों की प्रकृति **परिशिष्ट-3.3** में दी गई है। लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण तथा प्रत्येक संवर्ग में चोरी तथा दुर्विनियोग/हानि के लम्बित मामलों की संख्या को **तालिका-3.2** में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.2: 31 मार्च 2011 के अनुसार दुर्विनियोग, हानि, गबन आदि के मामलों की रूपरेखा

लम्बित मामलों का अवधि-वार विवरण			लम्बित मामलों की प्रकृति		
सीमा वर्षों में	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)	मामलों की प्रकृति/विशिष्टियां	मामलों की संख्या	सन्निहित धनराशि (₹ लाख में)
0 - 5	16	320.10	चोरी	02	4.13
5 - 10	---	---			
10 - 15	---	---	दुर्विनियोग/माल की हानि	14	315.97
15 - 20	---	---			
20 - 25	---	---	योग	16	320.10
25 से अधिक	---	---	वर्ष के दौरान हानियों के अपलिखित मामले	---	---
योग	**16**	**320.10**	**कुल लम्बित मामले**	**16**	**320.10**

इनमें से ₹ 50.55 लाख की चोरी, दुर्विनियोग/हानि के चार मामले अन्तिम कार्रवाई हेतु शिक्षा विभाग के पास अनिर्णित पड़े थे जबकि ₹ 84.31 लाख की पर्याप्त राशि के तीन मामलों को "समाज कल्याण विभाग" द्वारा अन्तिम रूप दिया जाना प्रतीक्षित था।

इस प्रकार एक प्रभावपूर्ण पद्धति को दुर्विनियोग, हानि व चोरी के प्रकरणों के शीघ्रतम निस्तारण हेतु स्थापित करने और भविष्य में ऐसे प्रकरणों से बचना सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।

3.4 निष्कर्ष

विभिन्न नियमों, क्रियाविधियों तथा अनुदेशों का राज्य सरकार द्वारा अनुपालन असंतोषजनक था जैसा कि विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं को दिये गये ऋण एवं अनुदानों के विरूद्ध महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को उपयोगिता प्रमाण पत्रों के प्रेषण में विलम्ब से स्पष्ट है। प्रस्तुतीकरण हेतु देय ₹ 522.54 करोड़ धनराशि के 623 उपयोगिता प्रमाण पत्रों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित नहीं किया गया तथा इस पर सरकार द्वारा तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है।

हानि/दुर्विनियोग व चोरी के प्रकरणों में विभागीय जांचों में दोषियों को दण्डित करने के लिए तेजी लानी चाहिये। भविष्य में इस प्रकार के प्रकरणों को रोकने के लिए सभी संगठनों में आन्तरिक नियंत्रणों में मजबूती लानी चाहिए।

देहरादून (अश्विनी अत्रि)
दिनांक प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली (विनोद राय)
दिनांक भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक